सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 287 राँची, शुक्रवार, 29 मार्च, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 मार्च, 2019

संख्या-5/आरोप-1-96/2017-1504 (HRMS)-- मो० शफीक आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने, मनमाने ढंग से कार्य करने एवं उक्त योजना में योग्य लाभुकों को वंचित कर अयोग्य लाभुकों को लाभान्वित करने तथा जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने संबंधी आरोप प्रपत्र- 'क' में गठित कर उप विकास आयुक्त, पलामू के पत्रांक-293, दिनांक 22.05.2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8344, दिनांक 24.07.2017 द्वारा मो० आलम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-546, दिनांक 29.08.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

मो० आलम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10514, दिनांक 11.10.2017 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक- 1676/वि०, दिनांक 08.11.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

मो० आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान तथा उपायुक्त, पलामू के मंतव्य के समीक्षोपरांत मो० शफीक आलम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	MD SHAFIK ALAM 111001163849	मो० शफीक आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू के विरूद्ध 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 287 -- 50